(24) 4

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 86–दो/2006 – विरूध्द – आदेश दिनांक 24–10–2005 पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – – प्रकरण कमांक 160 अ 6/2002–03 अपील

1– रामप्रताप नामदेव पुत्र रामगोपाल नामदेव

2– रबीन्द्रमोहन नामदेव पुत्र रामगोपाल नामदेव

निवासी ग्राम ओरछा तहसील निवाड़ी

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूध्द

1– नाथूराम पुत्र हरपे काछी

निवासी ओरछा, तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़

2– मध्य प्रदेश शारान ———अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव
अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर
म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक श्री एच.के.अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक 19.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 160 अ 6/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–10–2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 नाथूराम पुत्र हरपे काछी निवासी ओरछा ने तहसीलदार निवाड़ी को प्रार्थना पत्र दिनांक

6-10-1995 प्रस्तुत कर मांग की कि उसे ग्राम ओरछा की आराजी कमांक 557/1 रकबा 1.214 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का पटटा दिया गया था तभी से वह वादग्रस्त भूमि पर काविज है वह गरीव होने से उपयुक्त साधन न होने के कारण भूमि का सुधार नहीं कर पाया और चरोखर एंव पेड़ पोधे रखाकर भूमि पर लगातार काविज है पटटा प्राप्ति के उपरांत उसके नाम का इन्द्राज अभिलेख में रहा है किन्तु लिपिकीय भूल से उसका नाम अभिलेख में छूट गया, अतः अभिलेख दुरूस्त कर उसके नाम की प्रविष्टि पूर्ववत् की जावे। नायव तहसीलदार वृत्त ओरछा ने प्रकरण कमांक 19 अ 6 अ/1995-96 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-9-96 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक-1 के नाम की प्रविष्टि शासकीय अभिलेख में किये जाने के आदेश प्रदान किये।

नायव तहसीलदार के उक्तादेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 36/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-8-2000 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 160 अ 6/2002-03 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 24-10-2005 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ नियत दिनांक को प्रकरण के पक्षकारों से तर्को की अपेक्षा पर आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि उनका पक्षकारों से कोई संपर्क नहीं है इसलिये उन्हें पक्ष नहीं रखना है। अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ नायव तहसीलदार ओरछा के प्रकरण कमांक 19 अ 6 अ/95-96

के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने अनावेदक कमांक-1 के आवेदन के तथ्यों की जांच के दौरान पाया कि यह सही है कि अनावेदक कमांक एक को ग्राम ओरछा की आराजी कमांक 557/1 रकबा1.214 हैक्टर का पटटा वर्ष 1973 में प्राप्त हुआ है और वर्ष 1972 से खसरा पंचशाला 1976-77 तक खसरे में पटटाग्रहीता अनावेदक कमांक-1 का नाम दर्ज रहा है। उसके पश्चात् बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा आदेश के खसरे से आवेदक के नाम के पटटे की प्रविष्टि को छोड़ दिया गया। विचार योग्य बिन्दु है कि किसी पटटेधारी के नाम की प्रविष्टि को नवीन खसरा बनाते समय प्रविष्टि छूट जाने पर पुर्नप्रविष्टि की जा सकती है अथवा नहीं ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 115 सहपठित 116 - अवास्तविक एंव वास्तविक प्रविष्टियॉ - खसरे में हुई प्रविष्टियों की त्रृटियॉ अथवा लिपिकीय त्रृटि - इन धाराओं के अधीन ठीक किया जाना चाहिये - ऐसे मामलों में परिसीमा की कोई अवधि लागू नहीं है। (1998 राजस्व निर्णय 296 तथा सुक्कल तथा अन्य विरूद्व हरीराम एंव अन्य 2005 राजस्व निर्णय 212 पर अविलम्बित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 115 सहपठित 116 - खसरा में गलत प्रविष्टियॉ - राजस्व अधिकारियों व्दारा ठीक करना चाहिये।

स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार ओरछा ने खसरा प्रविष्टि के समय हुई लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रविष्टि को ठीक करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी ने अपीलीय आदेश दिनांक 01-08-2000 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 24-10-2005 में नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में

नायव तहसीलदार ओरछा के प्रकरण कमांक 19 अ 6 अ/95—96 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने अनावेदक कमांक—1 व्दारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों की जांच की है तथा मौके के सरहदी कृषकों के कथन भी लिये है । भूमि सर्वे कमांक 557/1/1 रकबा 1.811 के कास्तकार धनीराम पुत्र पुनू चमार ने कथनों में बताया है कि अनावेदक कमांक —1 को उसके साथ वर्ष 1973 में पटटा हुआ है जब इस पटटेदार का नाम खसरे में नियमित रूप से दर्ज चला आया, अनावेदक कमांक—1 को इसी आराजी में से 1.214 है. भूमि के दिये गये पटटे के अमल को वर्ष 1977—78 खसरा पंचशाला समाप्ति के वाद निर्मित नवीन खसरे में छोड़ दिया गया। इस प्रकार पटवारी को नवीन खसरा बनाते समय अनावेदक कमांक—1 के नाम के अमल को छोड़ देना लिपिकीय त्रृटि की श्रेणी में माना जावेगा।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)— धारा 114 — भू अभिलेख — खसरा या क्षेत्र पुस्तक तथा भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका में अंतर्विष्टयों में कोई अंतर होने की दशा में तहसीलदार स्वप्रेरणा से या उस संबंध में उसको आवेदन किये जाने पर तथा ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् उस अंतर के संबंध में निनिश्चय कर सकेगा तथा तहसीलदार का विनिश्चय अंतिम होगा।

नायव तहसीलदार ओरछा के समक्ष जांच एंव सुनवाई में यह तथ्य सामने आने के वाद , कि अनावेदक कमांक—1 को वर्ष 1973 में प्रदत्त पटटे की प्रविष्टि वर्ष 1977—78 के वाद तैयार किये गये नवीन खसरों में छूट गई है, उन्होंने आदेश दिनांक 25.9.1996 से पटवारी व्दारा की गई भूल को सुधारने का आदेश दिया है। नायव तहसीलदार ओरछा के प्रकरण कमांक 19 अ 6 अ/95—96 में भूमि विवाद अनावेदक कमांक—1 एंव मध्य प्रदेश शासन के बीच है स्पष्ट है कि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि से हितबद्व भी नहीं है और जब

आवेदकगण के हित वादग्रस्त भूमि से अथवा नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-9-1996 से प्रभावित नहीं है उन्हें अपील/निगरानी करने की पात्रता नहीं है। इस संबंध में अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा आदेश दिनांक 24-10-2005 में निकाले गये निष्कर्ष विधिवत् पाये गये है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 160 अ 6/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-2005 विधिवत् होने से स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर